तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
13/11/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र u/s 212 RT Act के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा-212 RT r.w.o. 39 R1 & 2 cpc के ~~परिपेक्ष्य~~ प्रा० पत्र को adjudicate करने के लिए तीन बिन्दुओ पर जांचना आवश्यक है। (अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया → ग्राम डुनेल की वादग्रस्त आराजी ख० न० 1643 रकबा 0.2276 hect की हाल जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1 रिकार्ड सह-खातेदार कृषक है जिसमे अप्रार्थी 1 का हिस्सा 1/5 दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा पेश रजि० विक्रय पत्र दिनांक 22/11/1996 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि क्रेता मांगीलाल पुत्र नानूराम धाकड़ द्वारा अप्रार्थी 1 के हिस्से 1/5 को छोड़कर शेष 4/5 भाग ही क्रय किया गया था। उपरोक्त आधार पर साबित है कि प्रकरण प्रथम दृष्टया केवल हिस्सा 4/5 तक प्रार्थीगण के पक्ष मे है और अप्रार्थी 1 के हिस्से 1/5 तक विरुद्ध मे साबित है। (ब) सुविधा का संतुलनः- वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की आराजी है और शामलाती खाते की आराजी के प्रत्येक हिस्से पर प्रत्येक सहखातेदार का एकसमान हक व अधिकार निहित होता है। यह भी रजिस्ट्री से स्पष्ट है कि अप्रार्थी 1 ने अपना हिस्सा 1/5 का प्रार्थीगण के पिता/पति मांगीलाल को बैचान नहीं किया था। प्रार्थीगण द्वारा पेश शपथ पत्र AW1 से AW4 के अनुसार अप्रार्थी 1 ने अपने हिस्से का भी सौदा कर प्रति[illegible] प्राप्त कर ली थी लेकिन राजस्व[illegible] वक्त [illegible] में उपस्थित नहीं हुआ था [illegible] अप्रार्थी 1 द्वारा पेश शपथ पत्र NAW1 से NAW3 के अनुसार अप्रार्थी 1 ने ना तो अपना हिस्सा बैचान किया था और ना ही प्रतिफल राशि प्राप्त की थी।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:33:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	यहां दोनों पक्षकारों ने अपने-अपने समर्थन में शपथ पत्र तो पेश किये हैं लेकिन उक्त गवाहों को ना तो court में उपस्थित किया गया है और ना ही witness box में उपस्थित होकर testify किये गये हैं। गवाहों द्वारा अपने कथनों को testify किये बिना एवं cross-examination हुए बिना साक्ष्य में ग्राह्य कर Read किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।	
	संयुक्त खाते की भूमि पर एक सहखातेदार के विरुद्ध अन्य सहखातेदारों के पक्ष में स्थगन strong evidence उपलब्ध होने पर ही दिया जा सकता है। अतः प्रकरण में प्रार्थीगण के पक्ष में स्थगन जारी करने से अप्रार्थी 1 को उसके खातेदारी अधिकारों से वंचित करने से सुविधा संतुलन अप्रार्थी 1 के पक्ष में होगा, ना कि प्रार्थीगण के पक्ष में होगा।	
	(स) अपूरणीय क्षति :- प्रार्थीगण को कोई भी अपूरणीय क्षति कारित होना (अप्रार्थी 1 के 1/5 हिस्से पर) जाहिर नहीं होता है।	
	उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w. O. 39 R 1&2 cpc खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न ...	
	Signature Not Verified Digitally signed by Dinesh Kumar Meena Date: 2025.12.30 17:33:17 IST Reason: SelfAttested 13/11/25 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०) (मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़)	

Scanned with OKEN Scanner